अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 842(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) दूसरा संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये 01 दिसंबर, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII निर्गम) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 15 में, -

(क) उप नियम (6) में "1 मार्च, 2003" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 मार्च, 2003 किंतु 1 दिसंबर, 2011 के पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-नियम (6) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(6क) जहां कोई पत्र 1 दिसंबर, 2011 को या इसके पश्चात क्रय किया गया है, वहां किसी मूल्यवर्ग के पत्र की परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष होगी जो पत्र के जारी होने की तारीख से आरंभ होगी। उसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम, जिसमें ब्याज सम्मिलित है, 100 रुपये के अंकित मूल्य के लिए 150.90 रुपये और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी। नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में पत्र के धारक या धारकों को उद्भूत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में चौथे वर्ष की समाप्ति तक इस प्रकार उद्भूमत ब्याज के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका धारक की ओर से पुन: विनिधान किया गया है और पत्र के अंकित मूल्य की रकम के साथ जोड़ दिया गया है।

सारणी

वर्ष के लिए अर्जित ब्याज	100 रुपये के अंकित मूल्य के पत्र पर उद्भूत होने वाले ब्याज की रकम (रुपये में)
पहला वर्ष	8.58
दूसरा वर्ष	9.31
तीसरा वर्ष	10.11
चौथा वर्ष	10.98
पांचवा वर्ष	11.92

टिप्पण: किसी अन्य अंकित मूल्य के किसी पत्र पर उद्भूत होने वाली ब्याज की रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की आनुपातिक होगी।" प्रमाणपत्र पर उपार्जित ब्याज राशि उपर्युक्त सारणी में यथा-निर्दिष्ट के समानुपातिक होगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (4) में, -

(क) खंड (iv) में "1 मार्च, 2003 को" अंकों, शब्दों ओर अक्षरों के स्थान पर, "1 मार्च, 2003 को किन्तु 1 दिसंबर, 2011 के पूर्व" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खंड (iv) और उससे संबंधित सारणी के पश्चात, निम्नलिखित खंड और सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(v) यदि 1 दिसंबर, 2011 का या उसके पश्चात क्रय किया गया कोई पत्र, पत्र की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात उप-नियम (1) के अधीन भुनाया जाता है, तो संदेय रकम जिसके नियम 15 के अधीन उद्भूत ब्याज सम्मिलित है और रियायत के समायोजन के पश्चात, सौ रुपये के अंकित मूल्य के पत्र के लिए नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में होगी और किसी अन्य अंकित मूल्य के लिए आनुपातिक दर से होगी।

सारणी

प्रमाण पत्र की तारीख से इसके नगदीकरण तक की अवधि	संदेय रकम जिसमें ब्याज सम्मिलित है (रुपये में)
तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु तीन वर्ष और छ माह से कम	123.14
तीन वर्ष और छ: माह या उससे अधिक किंतु चार माह से कम	127.49
चार वर्ष या उससे अधिक किंतु चार वर्ष और छ: माह से कम	131.99
चार वर्ष और छ माह या उससे अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम	136.65

[फा. सं. 1/7/2011-एन.एस.-II]
एम. ए. खान, अवर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम सा.का.नि. 496 (अ) तारीख 1 मई, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें सा.का.नि. 508 (अ) तारीख 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120 (अ) तारीख 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7 (अ) तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. सं. 491 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156 (अ) तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572 (अ) तारीख 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163 (अ) तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711 (अ) तारीख 17 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 179 (अ) तारीख 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 591 (अ) तारीख 25 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 820 (अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2003, सा.का.नि. 289 (अ) तारीख 13 मई, 2005 और सा.का.नि. 744 (अ) तारीख 4 अक्तूबर, 2011 द्वारा उत्तरवर्ती संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2011

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) Second Amendment Rules, 2011.

   (2) They shall come into force on the 1st day of December 2011.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 15,—

   (a) in sub-rule (6), for the figures, letters and words "1st day of March, 2003", the figures, letters and words "1st day of March, 2003 but before the 1st day of December, 2011," shall be substituted;

   (b) after sub-rule (6) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(6A) Where a certificate has been purchased on or after the 1st day of December, 2011 the maturity period of a certificate of any denomination, shall be five years, commencing from the date of issue of the certificate. The amount inclusive of interest, payable on encashment of the certificate at any time after the expiry of its maturity period shall be Rs 150.90 for denomination of Rs. 100 and at proportionate rate for any other denomination. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of Rs. 100 denomination
First year	8.58
Second year	9.31
Third year	10.11
Fourth year	10.98
Fifth year	11.92

Note : The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above".

3. In rule 16 of the said rules, in sub-rule (4),-

   (a) in clause (iv), for the figures, words and letters "1st day of March, 2003", the figures, words and letters "1st day of March, 2003 but before the 1st day of December, 2011" shall be substituted;

   (b) after clause (iv) and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(v) If a certificate is encashed under sub-rule (1) after the expiry of three years from the date of certificate purchased on or after the 1st day of December, 2011, the amount payable, inclusive of interest accrued under rule 15 and after adjustment of discount, shall be as specified in the Table below for a certificate of Rs. 100 denomination and at a proportionate rate for a certificate of any other denomination.

TABLE

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	123.14
Three years and six months or more, but less than four years	127.49
Four years or more, but less than four years and six months	131.99
Four years and six months or more, but less than five years	136.65

"

[F. No. 1/7/2011-NS-II]
M. A. KHAN, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989, and subsequently amended vide: G.S.R. 508(E), dated the 23rd May, 1990, G.S.R. 120(E), dated the 8th March, 1998, G.S.R. 7(E), dated the 1st January, 1999, G.S.R. 491(E), dated the 6th July, 1999, G.S.R. 47(E), dated the 15th January, 2000, G.S.R. 156(E), dated the 1st March, 2001, G.S.R. 572(E), dated the 2nd August, 2001, G.S.R. 163(E), dated the 1st March, 2002, G.S.R. 711(E), dated the 17th October, 2002, G.S.R. 179(E), dated the 1st March, 2003, G.S.R. 590(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 591(E), dated the 25th July, 2003, G.S.R. 820(E), dated the 16th October, 2003, G.S.R. 289(E), dated the 13th May, 2005 and G.S.R. 744(E), dated the 4th October, 2011.